(6)

संख्याः 75 /XXVI/एक (15)/2010

प्रेषक,

पी0एस0 जंगपांगी,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
राज्य योजना आयोग,
उत्तराखण्ड देहरादून।

नियोजन अनुभाग-1 देहरादून, दिनांकः 05 मई, 2011

विषयः- वित्तीय वर्ष 2011-12 में राज्य योजना आयोग के अन्तर्गत आयोजनेत्तर पक्ष की विभिन्न अवचनबद्ध मदों पर व्यय की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन के पत्र सं0-209/XXVII(1)/2011 दिनांक 31 मार्च 2011 एवं आपके पत्र सं0-439/तीन-1(6)/रा0यो0आ0/2011 दिनांक 05 अप्रैल 2011 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल राज्य योजना आयोग के कियान्वयन हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2011-12 में विभिन्न अवचनबद्ध मदों में आयोजनेत्तर पक्ष में अनुदान संख्या-7 के अधीन लेखाशीर्षक "3451-सचिवालय आर्थिक सेवायें-092-अन्य कार्यालय-03 नियोजन अधिष्ठान के अन्तर्गत कुल धनराशि ₹ 1231 हजार (₹ बारह लाख इकतीस हजार मात्र) को आपके निवर्तन पर रखने की स्वीकृति निम्न प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

1- धनराशि का आहरण एवं व्यय वास्तविक आवश्यकतानुसार ही किश्तों में किया जाएगा एवं यह सुनिश्चित किया जायेगा कि वर्ष भर का कुल व्ययभार उक्त स्वीकृत धनराशि से अनाधिक रहेगा तथा व्यय की फेजिंग त्रैमास के अनुसार इस प्रकार की जाएगी कि त्रैमासवार व्यय तद्नुसार निर्धारित अनुमान से अनाधिक ही रहे।

2- वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए अधिकृत धनराशि में से केवल स्वीकृत चालू योजना पर ही व्यय किया जाए और किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2011-12 की नई मदों के क्रियान्वयन के लिए नहीं किया जाएगा।

3- स्वीकृत कार्यों पर व्यय करते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका में वजट मैनुअल एवं उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली सहित मितव्ययता के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन कडाई से किया जायेगा। मितव्ययता के सम्बन्ध में वेतन आदि मदों के अतिरिक्त शेष मदों में मितव्ययता सुनिश्चित करने के लिए तत्काल शीर्षक/मदवार बचत की कार्ययोजना बना ली जाए तथा तद्नुसार विशेषकर आयोजनेत्तर पक्ष में बचत करने का वार्षिक लक्ष्य निर्धारित कर बचत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

4- यह सुनिश्चित किया जाए कि स्वीकृत धनराशि को किसी ऐसे मद पर व्यय नहीं किया जाए जिसके लिये वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हो तथा उस प्रकरण में व्यय के पूर्व यह प्राप्त कर लिया जाए।

5— संलग्न वर्णित धनराशि का समय से उपयोग करने के लिए यह सुनिश्चित करें कि धनराशियों को परिधिगत अधिकारियों को तत्काल अवमुक्त कर दिया जाए तथा व्यय का विवरण यथासमय बी0एम0—13 पर शासन को उपलब्ध कराया जाए।

6— अनुदान के अन्तर्गत होने वाले सम्भावित व्यय की फेजिंग (त्रैमास के आधार पर) नियोजन विभाग एवं वित्त विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

7— यह सुनिश्चित किया जाए कि शासन द्वारा उपरोक्त निर्देशों के अतिरिक्त इस सम्बन्ध में जारी शासनादेशों का अनुपालन अधीनस्थ तक भी सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

2. उक्त संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011—12 के आय—व्ययक में अनुदान संख्या—7 के अधीन लेखाशीर्षक "3451—सचिवालय आर्थिक सेवायें—092—अन्य कार्यालय—03 नियोजन अधिष्ठान के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

भवदीय,

(पी0एस0 जंगपांगी)
अपर सचिव।

संख्याः 74 (1)/XXVI/एक (15)/2010 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार उत्तराखण्ड, ओबरॉय बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, देहरादून।
2. निदेशक, कोषागार, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून।
4. वित्त विभाग—5, उत्तराखण्ड शासन।
5. समन्वयक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय परिसर देहरादून।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जी0बी0 ओली)
संयुक्त सचिव।

शासनादेश संख्याः– ७५ /XXVI/एक (15)/2010, दिनांक ०५ मई 2011 का संलग्नक।

अनुदान सं0–07 लेखाशीर्षक	(धनराशि हजार ₹ में) आयोजनेत्तर
3451–सचिवालय आर्थिक सेवायें	
092–अन्य कार्यालय	
03–नियोजन अधिष्ठान	
04–यात्रा व्यय	50
05–स्थानान्तरण यात्रा व्यय	05
07–मानदेय	125
11–लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	25
12–कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	13
16–व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	750
18–प्रकाशन	25
22–आतिथ्य व्यय/व्यय विषयक भत्ता आदि	25
26–मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	25
42–अन्य व्यय	50
45–अवकाश यात्रा व्यय	13
46–कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	25
47–कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	100
योग (₹ बारह लाख इकतीस हजार मात्र)	**1231**

(जी0बी0 ओली)
संयुक्त सचिव।